जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 04.01.2021

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चरस सप्लाई के अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का किया गया खुलासा, करीब सवा दो करोड़ रूपये की 01 कुन्तल 81 किलोग्राम अवैध चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में प्रयुक्त वाहन बरामद।

दिनांक 03.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चौकी लांक पर चेकिंग के दौरान मेरठ के रास्ते तस्करी कर शामली लाई जा रही भारी मात्रा में अवैध चरस की सूचना पर मेरठ-करनाल हाईवे पर शामली की तरफ आते हुए कैंटर व ऑल्टो कार से करीब 181 किलो ग्राम अवैध चरस बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके पर एक तस्कर कैंटर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि ऑल्टो में सवार साथी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा कॉम्बिंग कर तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका- गिरफ्तार तस्कर वाजिद से की गयी जानकारी पर ज्ञात हुआ है कि वह और उसका साथी अरविन्द अवैध चरस की तस्करी का कारोबार नेपाल से करते है। इस कार्य के लिए धन अरविन्द मुहैया कराता है। बरामद चरस उसने व अरविन्द ने सुरेश व सुलेमान नाम के व्यक्ति से नेपाल के वीरगंज से खरीदी थी, जिसका भुगतान अरविन्द द्वारा किया गया था। कैंटर गाड़ी रक्षपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी लुधियाना की तथा ऑल्टो कार अरविन्द की पत्नि सुषमा के नाम होने की जानकारी वाजिद द्वारा दी गयी है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 22/23/12.2020 को सहारनपुर में भी माल दिये जाने की जानकारी दी है। जिस व्यक्ति को माल दिया गया है, उसको फोन से सम्पर्क कर माल सप्लाई करने के उपरान्त मोबाइल नं0 फोन से डिलीट किया जाना बताया गया है। गिरफ्तार तस्कर से उ0प्र0, पंजाब, हरियाणा में भारी मात्रा में चरस की सप्लाई की जानकारी हुई है। सारी कडियां जोडकर पूरे अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- वाजिद पुत्र जरीफ निवासी टिब्बा रोड़ कम्पनी बाग, गली नं0-01 थाना टिब्बा जनपद लुधियाना पंजाब।

फरार अभियुक्त-

1- अरविन्द पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध चरस 01 कुन्तल 81 किलोग्राम (कुल 05 प्लास्टिक के कट्टों में) (करीब सवा दो करोड रूपये)

2- कैंटर नं0- PB10-FV-6103 ।

3- अल्टो कार नं0 UP12-Y-8808 ।

4- ओप्पो मोबाइल (मल्टीमीडिया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- थानाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2- उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3- उ0नि0 श्री विजय त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4- हे0का0 जोगेन्द्र थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
5- का0 ज्योति प्रकाश थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
6- का0 राहुल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
7- का0 मोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

नोटः- पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 15000-/ रूपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट के मामले में करीब 10 वर्षों से फरार ₹25,000/- का इनामी गैंगस्टर को अवैध हथियार व चोरी की मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार।

दिनांक 03/04.01.2021 की रात्रि पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव द्वारा वांछित/इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गये अभियान के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सींगरा मन्दिर से करीब 10 वर्षो से थाना झिंझाना के गैंगस्टर के मामले में फरार ₹25,000/- का इनामी गैगस्टर संजीत उर्फ टीनू को 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बरामद मोटरसाइकिल जनपद रोहतक हरियाणा से चोरी किए जाने की जानकारी दी गई है। जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2011 में अभियुक्त द्वारा लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। जिस पर अंकुश लगाये जाने हेतु गैंगस्टर की कार्यवाही की गई थी परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा ₹25,000/- का नकद पुरस्कार घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. संजीत उर्फ टीनू पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामा निवासी ग्राम रिठाली थाना सदर रोहतक जनपद रोहतक।

बरामदगी का विवरण-

01. एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
02. चोरी की एक मोटरसाइकिल डिस्कवर बिना नम्बर।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 275/11 धारा 392 भादवि थाना झिंझाना शामली शामली।
2. मु0अ0सं0 276/11 धारा 307 भादवि थाना झिंझाना शामली शामली।
3. मु0अ0सं0 539/11 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना झिंझाना शामली शामली।
4. मु0अ0सं0 03/21 धारा 3/25 आयुध एक्ट थाना झिंझाना शामली शामली।
5. मु0अ0सं0 04/21 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना शामली शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सर्वेश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. हे0का0 धर्मपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. का0 अभिषेक थाना झिंझाना जनपद शामली शामली।

2- थाना झिंझाना पुलिस द्वारा शातिर टॉप-10 अपराधी किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद
।

आज दिनांक 04.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे जनपद के टॉप-10 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर टपराना ईदगाह से थाने का टॉप-10 शातिर अपराधी युनूस को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना झिंझाना क्षेत्र में गौकशी का अपराध करने में सक्रिय अपराधी है और गौकशी के मामलों में पूर्व में भी जेल जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1- युनूस पुत्र सलीम निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 157/16 धारा 307,427 भादवि व 3/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना झिंझाना।
2. मु0अ0सं0 204/19 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 21/20 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 22/20 धारा 4/25 आयुध एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 25/20 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
6. मु0अ0सं0 05/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सर्वेश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री सोमप्रकाश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 अमर थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. का0 सुमित थाना झिंझाना जनपद शामली।